न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. : ....

R-143-II/16

01. **कचरू आत्मज रामबगस**, आयु 40 वर्ष
02. **अभिषेक** आत्मज कचरू, वयस्क
03. श्रीमती सुषमा पत्नि कचरू, वयस्क
04. **गोविन्द** आत्मत रामबगस, वयस्क
05. **श्रीमती प्रियंका** पत्नि गोबिंद, वयस्क
06. **श्रीमती मिश्री बाई** पत्नि रामबगस, वयस्क
07. **सारथक** आत्मज गोविंद, अवयस्क
    द्वारा प्राकृतिक संरक्षक माता –
    श्रीमती प्रियंका
    समस्त निवासीगण– ग्राम राला,
    तहसील नसरूल्लागंज, ज़िला सीहोर
08. **रामकली बाई** पत्नि सीताराम,
    पुत्री स्व. रामबगस, वयस्क
    निवासी ग्राम चकल्दी, तहसील रेहटी,
    ज़िला सीहोर .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

01. **गीता बाई** पत्नि हरिशंकर, वयस्क
    पुत्री स्व. रामबगस,
02. **प्रेमनारायण** आत्मज स्व. गोरेलाल, वयस्क
    निवासीगण – कस्बा रेहटी, तहसील रेहटी,
    ज़िला सीहोर
03. **ओमप्रकाश** आत्मज स्व. गोरेलाल, वयस्क
    निवासी ग्राम चकल्दा, तहसील रेहटी,
    ज़िला सीहोर
04. **राजेन्द** आत्मज स्व. गोरेलाल, वयस्क
    निवासी रेहटी, ज़िला सीहोर
05. **रामनिवास** आत्मज स्व. गोरेलाल, वयस्क
06. **धर्मेन्द** आत्मज स्व. गोरेलाल, वयस्क
    दोनों निवासीगण– ग्राम चकल्दी, तहसील रेहटी,
    ज़िला सीहोर
07. **श्रीमती राममणी** पत्नि श्री महेश,
    पुत्री स्व. दुजिया बाई, वयस्क
    निवासी बैरागढ़, भोपाल
08. **श्रीमती रामबाई** पत्नि रामभरोस, वयस्क
    निवासी – होशंगाबाद .... **प्रतिप्रार्थीगण**

निरंतर ....

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास "दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-143/दो/2016 **जिला** सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कचरू/गीताबाई	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.10.2015 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है। प्रकरण में वर्तमान में गुणदोष पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है जहां तर्क के दौरान पक्षकार अपना–अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से यथावत रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते है कि वे उभयपक्ष को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणदोष के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उपरोक्तानुसार यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	